

8-6-18

पञ्जाबली न्याय आपने दार-2018 में अटल सेवा केन्द्र
नारायण पेश हुई। पक्का नान बकरील उपर ही
बट्टर सुनी गई, मज्जे साम में जानकारी की गई
एवं पञ्जाबली का अवलोकन कर लोक अदालत
की भवना से दि 18-1-15 को जारी आदेश में
आंशिक संशोधन करते हुये उभय पक्ष को सुलवा
के निस्तारण तक दि 18-1-15 को जारी आदेश से
पाबंद किया गया। इन बाबत सम्बन्धित को
सर्वनाम तहरीद जारी हो। पञ्जाबली फैसल सुपार
दोकर दूरी नगर से कर दो। आदेश मज्जे साम
में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक